न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 89/2012

1. सुनील कुमार
2. अनिल कुमार

} पुत्रगण जयवीर जाति जाट निवासीगण पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

89

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. श्रीमती शर्मिला देवी पत्नी श्री धर्मपाल जाति जाट साकिन वार्ड नम्बर 14 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीया

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री मोहनलाल छाबड़ा अधिवक्ता — प्रतिवादीया

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 4.11.16

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीया के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में दिनांक 26.04.2012 को प्रस्तुत किया वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी के नाम से चक 4 जैड (1 बी छोटी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/19 नया/पुराना में मुरब्बा नम्बर 30 में 5.534 हैक्टर बहिस्सा बराबर नहरी कृषि भूमि है। इस खाता में कमला देवी पत्नी नत्थुराम की 0.791 हैक्टर कृषि भूमि उपरोक्त मुरब्बा में संयुक्त रूप से है।

कमलादेवी को वादीगण नें समझाया कि आप संयुक्त खाता में विभाजन करवाकर खाता अलग करवा लेवे तो उसनें कहा की मैनें तो सुयक्त खाता की भूमि शर्मिलादेवी पत्नि धर्मपाल को विक्रय कर दी है। प्रतिवादी एक अजनबी व्यक्ति है जो संयुक्त खाता में बिना विभाजन करवाये 0.791 हैक्टर भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं कर सकती है। क्योंकि संयुक्त खाता में प्रत्येक सहकाश्तकार को प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना जाता है।

वादीगण नें प्रतिवादीया को समझाया कि मुरब्बा नम्बर 30 की समस्त भूमि पर कृषि भूमि 5.534 हैक्टर पर हमारा कब्जा है। आप बिना विभाजन करवाये किसी किला विशेष पर अनाधिकृत कब्जा प्राप्त न करें। मौका पर हमारी फसल खड़ी है, आप खाता विभाजन करवाकर कब्जा प्राप्त करें तो वह कल दिनांक 24.04.2012 को ऐसा करनें से साफ इन्कार हो गई तथा ऐलानियां कहनें लगी की मै जबरदस्ती कब्जा करूगीं।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीया आज्ञाप्ति किया जावे कि वह बिना किसी विभाजन करवाये चक 4 जैड (1 बी छोटी) की खाता संख्या 34/19 नया/पुराना मुरब्बा नम्बर 30 में 5.534 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें से निषेध रहे और वादीगण के कब्जा में दखल अन्दाजी न करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीया को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.12.2012 को प्रतिवादीया की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसके

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद में वर्णित भूमि में से कमलादेवी पत्नि स्व. श्री नत्थुराम के नाम से अंकित 0.791 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान कमलादेवी द्वारा पंजीकृत बैयनामा के द्वारा किये जानें पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 457 दिनांक 05.05.2012 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद प्रतिवादीया के नाम से हो चुका है।

वादपत्र की मद संख्या 3 के अस्वीकार करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा कमलादेवी को समझाया गया कि संयुक्त खाता की भूमि को विभाजन करवा लेवे और खाता अलग करवा लेवे। लेकिन वादीगण द्वारा धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद प्रस्तुत किया है उक्त अभिवचनो से वादीगण को धारा 53 आर.टी.एक्ट का वाद प्रस्तुत करनें का वाद हेतुक प्राप्त होता है। ना कि धारा 188 का वाद प्रस्तुत करनें का ऐसी स्थिती में वादीगण को धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद प्रस्तुत करनें का वाद हेतुक प्राप्त नही होनें के कारण वाद वादीगण आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत निरस्त किये जानें योग्य है। संयुक्त खाता की भूमि मे से कमला देवी द्वारा अपनें हिस्सा की भूमि प्रतिवादीया को दिनांक 23.04.2012 को विक्रय करनें के तथ्य इस तरमीम के साथ स्वीकार है, कि उक्त दिनांक को भूमि का विक्रय कर कमला देवी द्वारा अपनें हक व हिस्सा की भूमि का कब्जा मौके पर प्रतिवादीया के सुपुर्द कर दिया है एवम् खरिद की दिनांक से बतौर खातेदार काश्तकार प्रतिवादीया काश्त चली आ रही है। प्रतिवादीया अजनबी नहीं है वरन् सहकाश्तकार है। एवम् अपनें हिस्सा पर साधिकार काबिज काश्त है। प्रतिवादीया खरिद की दिनांक से 0.791 हैक्टर रकबा पर काबिज है यह तथ्य स्वीकार है, कि संयुक्त खाता में प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक ईन्च पर कब्जा माना जाता है एवम् बतौर सहकाश्तकार प्रतिवादीया का भी कब्जा प्रत्येक ईन्च पर संयुक्त है।

वाद पत्र की मद संख्या 4 को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि समस्त कृषि भूमि पर वादीगण कब्जा होनें क तथ्य गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। एवम् ना ही प्रतिवादिया द्वारा विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर पर जबरन कब्जा किया है। वरन् सही तथ्य यह है, कि कमलादेवी पत्नि नत्थुराम द्वारा घरू रजामन्दी से अपना कब्जा काश्त में आई भूमि पर प्रतिवादीया मुजीब को अधिष्ठित करवाया है, एवम् खरिद की दिनांक से आई कृषि भूमि पर प्रतिवादिया को अधिष्ठित करवाया है। एवम् खरिद की दिनांक से ही प्रतिवादीया काबिज चली आ रही है। भूमि मुश्तरका खाता में से हिस्सा खरिद किया है, लेकिन मौका पर कमला देवी के कब्जा काश्त की भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है। जिसका विवरण अतिरक्ति कथन में अंकित है। प्रतिवादीया यहां यह भी निवेदन करती है, कि विभाजन की स्थिति में यदि माननीय न्यायालय अथवा परस्पर सहमती से पुनः विधिवत विभाजन अच्छी से अच्छी एवम् बुरी से बुरी भूमि का होता है, तो वह विभाजन भी प्रतिवादीया को मान्य होगा। एवम् इसी आश्य का शपथ पत्र कमलादेवी द्वारा लिखकर बैय के रोज लिखकर दिया था। वादीगण को धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत करनें का हक हासिल नहीं है। इसलिये वाद हेतुक के अभाव में वाद वादीगण पोषणीय नहीं है।

जबाब दावा में अतिरिक्त कथन किया कि वादीगण द्वारा यह तथ्य वाद पत्र में अंकित किये गये है, कि बिना विभाजन करवाये प्रतिवादिया कब्जा प्राप्त नहीं कर सकती । जबकि वादीगण द्वारा वाद 188 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया गया है वादीगण धारा 188 आर.टी. एक्ट का वाद प्रतिवादीया खातेदारा के खिलाफ प्रस्तुत करनें के अधिकारी नहीं है। महज 53 आर.टी.एक्ट का ही वाद प्रस्तुत कर सकते है। एवम् विधिवत विभाजन उपरान्त यदि प्रतिवादीया के हिस्सा में अच्छी से अच्छी एवम् बुरी से बुरी भूमि का विभाजन माननीय न्यायालय करती है, तो प्रतिवादीया को मान्य होगा। लेकिन वर्तमान में प्रतिवादीया कमला देवी के कब्जा काश्त एवम् हिस्सा की भूमि पर काबिज है। जिस पर कब्जा बनाये रखनें का

संवैधानिक अधिकारी प्रतिवादीया को है। बिना विभाजन करवाये कब्जा करनें एवम् झगड़ा होनें की सम्भावना के तथ्य कपोल कल्पित एवम् महज न्यायालय को गुमराह करनें के आश्य से वादीगण द्वारा अंकित किये गये है।

कमलादेवी पत्नि नत्थुराम के हक व हिस्सा में घरू रजामन्दी एवम् सहकाश्तकारान की सहमति से तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 बी छोटी का मुरब्बा नम्बर 30 में किला नम्बर 1, 10, 11 व किला नम्बर 2 में 2–1/2 कुल 3 बीघा 2–1/2 बिस्वा भूमि कब्जा काश्त में आई थी तो बैयनामा पंजीयन के रोज कमला देवी के द्वारा उक्त भूमि का कब्जा मौका पर प्रतिवादिया के सुपर्द करते हुए एक शपथ पत्र इस आश्य का निष्पादित किया है। यदि वादीगण विभाजन करवाना चाहे तो भी प्रतिवादीया इसके लिये तैयार एवम् तत्पर है। अतः वाद वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीया द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत करनें पर पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया कि विवादास्पद कृषि भूमि समस्त पर वादी का कब्जा है ?
   — — वादी
2. आया कि प्रतिवादी अपनी खरीदशुद्धा खातेदारी भूमि हिस्सा पर काबिज है ?
   — — प्रतिवादी
3. आया वादी धारा 188 का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी है ?
   — — वादी

दिनांक 22.06.2015 को वादीगण की और से सुनिल कुमार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 28.10.2015 को जिरह हुई। प्रतिवादीया शर्मिला द्वारा दिनांक 30.08.2016 को शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ, जिस पर दिनांक 16.09.2016 को जिरह हुई।

दिनांक 04.10.2016 को उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वादी के विद्धान अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि 1 वादी द्वारा कब्जा को सिद्ध करनें हेतु गिरदावरी, पानी की पर्ची जमाबन्दी प्रदर्श की है। कमला देवी के कब्जा काश्त का कोई सबूत नहीं है जब तक भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता है, तक तक भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान नहीं की जा सकती है। जब तक सक्ष्म न्यायालय से विभाजन नही करवा लेते तब तक किला विशेष के रूप में भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता है। इस सम्बंध में अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.टी 2011–12 पेज 626, आर.आर.डी. 1995 पेज 134, आर.आर.डी. 2004 पेज 494की नजीर पेश की गई।

प्रतिवादीया के विद्धान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि कमला देवी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को जरिये पंजिकृत बैयनामा प्रतिवादीया को बेचान किया गया है यह बात वादी गण द्वारा भी स्वीकार की गई है, कि कमलादेवी सह काश्तकार थी जिसको विभाजन हेतु कहा गया। अतः वादीगण विभाजन हेतु आर.टी.एक्ट की धारा 53 के तहत वाद लानें के अधिकारी थे न कि आर.टी.एक्ट की धारा 188 के तहत प्रतिवादीया द्वारा जबाब दावा में कथन किया जा चुका है कि विभाजन करवानें में सहमत है, अतः वादी को वाद पत्र आर.टी. एक्ट की धारा 53 में पेश करना चाहीये तथा गलत वाद पेश किया गया है जो खारिज किये जानें योग्य है। इस सम्बंध में अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. पेज 278, आर.आर.डी. 1998 पेज 154 आर.बी.जे 2010 पेज 546, आर.आर.टी. 2014 पेज 586 आर.बी.जे. 2011 पेज 183 की नजीर पेश की ।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

विद्धान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के विवेचन किया गये जानें पर प्रकरण में तनकीयात के आधार पर निम्नानुसार निर्णय किया जाता हैं।

1. आया कि विवादास्पद कृषि भूमि समस्त पर वादी का कब्जा है :– विवादीत भूमि पर समस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का है, चुँकि वादी सहकाश्तकार है, और इस नाते उसका प्रत्येक भूमि पर कब्जा माना जावेगा इसलिये सहखातेदार होनें के कारण कब्जा सिद्ध करनें में सफल हुआ है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

2. आया कि प्रतिवादी अपनी खरीदशुद्धा खातेदारी भूमि हिस्सा पर काबिज है :– सह खातेदार के रूप में विक्रेता की भूमि थी उसका भी कब्जा कानून रूप से भी भूमि पर उसनें अपना हक प्रतिवादी कासे बेच दिये जानें पर वह भी सहकाश्तकार बन गया इसलिये कमला देवी के हद तक वह भी काबिज है। इसलिये क्रेता का भी कब्जा माना जावेगा।

3. आया वादी धारा 188 का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी है :– प्रकरण में वादीण द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज अपनें नाम से वर्णित खातेदारी भूमि की सीमा तक ही स्थाई निषेधाज्ञा चाही है, जो कि दिया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त तनकियात को मध्यनजर रखते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि प्रतिवादी वादीगण की खातेदारी भूमि चक 4 जैड के खाता संख्या 34/19 की 5.534 हैक्टर भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करनें से निषेध रहे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 4.11.16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर